

अति-तत्काल
फैक्स/स्पीड पोस्ट से

सं.14/3/2015-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
ईओयू अनुभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 31 अगस्त, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की 27 अगस्त, 2015 को आयोजित तीसरी बैठक (2015 श्रृंखला) का कार्यवृत्त

मुझे ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की 27 अगस्त, 2015 को आयोजित तीसरी बैठक (2015 श्रृंखला) का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ भेजने का निदेश हुआ है।

2. अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय पर कार्यान्वयन रिपोर्ट प्राथमिकता आधार पर इस विभाग को अग्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक : यथोपरि

ह0/-
(एस.एस. कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23062496
ई-मेल : kumar.ss@nic.in

1. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी [सदस्य (सीमाशुल्क)], वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी [सदस्य (आयकर)], वित्त मंत्रालय
4. डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
8. सभी विकास आयुक्त

प्रतिलिपि : वाणिज्य सचिव के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (जीपीएम) के निजी सचिव/निदेशक (एमवी) के निजी सचिव।

ईओयू स्कीम के लिए वाणिज्य सचिव जी की अध्यक्षता में दिनांक 27.08.2015 को प्रातः 10.30 बजे कक्ष संख्या 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक (2015 श्रृंखला) का कार्यवृत्त।

3.1(15) दिनांक 19.05.2015 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की दूसरी बैठक (2015 श्रृंखला) की बैठक का कार्यवृत्त।

अनुमोदन बोर्ड ने दिनांक 19.05.2015 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी।

3.2(15) एमईपीजेड के अंतर्गत कांचीपुरम स्थित एक ईओयू मैसर्स डिको डि ट्रेड – विनिर्मित वस्तुओं और विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात से संबंधित वस्तुओं का समेकन।

बोर्ड ने एमईपीजेड के अधीन कांचीपुरम स्थित एक ईओयू मैसर्स डिको डि ट्रेड के विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित और विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात से संबंधित निम्नलिखित वस्तुओं का समेकन करने के लिए उक्त ईओयू के प्रस्ताव का विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 6.01(2) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान के अंतर्गत मंजूरी दे दी :

- i. ग्लास उत्पाद (ग्लास की बोतलें, ग्लास चिप्स इत्यादि)
- ii. सिरेमिक उत्पाद (टेराकोटा, सिरेमिक के बरतन इत्यादि)
- iii. कपड़ा उत्पाद (कपास के रिबन, कपड़े आदि)
- iv. जूट उत्पाद (जूट के बैग, जूट के कपड़े आदि)
- v. लकड़ी के उत्पाद और सजावटी सामान (लकड़ी के स्टैंड, लकड़ी की वस्तुएं आदि)
- vi. इलेक्ट्रिक उत्पाद (इलेक्ट्रिक लैंप, विद्युत फिटिंग)
- vii. धातु उत्पाद (लोहा और इस्पात, पीतल एल्यूमिनियम)
- viii. पेपर उत्पाद (हस्तनिर्मित कागज, कोरुगेटेड कागज)
- ix. समुद्री उत्पाद (सागर शैल्स स्टार फिश बोन्स आदि)
- x. एक्सफोलिएटेड वर्मीक्युलिट (सुगंधित)
- xi. प्लास्टिक उत्पाद (प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक कंटेनर आदि)

3.3(15) मैसर्स सीपूज के अंतर्गत एक ईओयू मैसर्स एक्योर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड – को डीटीए यूनिट से ईओयू में सम्परिवर्तित करने का प्रस्ताव।

बोर्ड ने मैसर्स एक्योर फार्मास्युटिकल्स का एक डीटीए यूनिट से ईओयू में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को एफटीपी एवं एचबीपी में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन स्वीकार कर लिया।

3.4(15) एनएसईजेड के अंतर्गत कानपुर स्थित एक ईओयू मैसर्स एमकेयू प्राइवेट लिमिटेड (ऑप्टिक्स डिवीजन) – अनुमति पत्र का 5वें वर्ष के लिए विस्तार।

बोर्ड ने कानपुर स्थित एक ईओयू मैसर्स एमकेयू (प्राइवेट) लिमिटेड (ऑप्टिक्स डिवीजन) के प्रस्ताव 5वें वर्ष के लिए अनुमति पत्र बढ़ाने पर विचार किया और एमओपी का 5वें वर्ष अर्थात् 12.05.2015 से 11.05.2016 तक विस्तार करने का निश्चय किया।

3.5(15) मैसर्स केएसईजेड के अंतर्गत ईओयू मैसर्स गीतांजलि वूलेन्स और मैसर्स प्रयास वूलेन्स – अप्रयुक्त/फटेपुराने वस्त्रों का पुनर्प्रसंस्करण करने में लगी यूनिटों के अनुमति पत्र का विस्तार करने के लिए प्रस्ताव।

महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने उल्लेख किया कि अनुमति पत्र का विस्तार करने एसईजेड और ईओयू के लिए प्रक्रिया में एकरूपता होनी चाहिए। एसईजेड में इस्तेमाल किए गए/फटे पुराने कपड़ों का पुनर्प्रसंस्करण करने के कार्य में लगी मौजूदा इकाइयों के एलओपी का विस्तार की अनुमति दी है और हालांकि एफटीपी के प्रावधानों के अनुसार ईओयू के एलओपी में विस्तार करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने अनुमोदन बोर्ड को यह सूचित किया कि वाणिज्य विभाग के ईओयू प्रभाग के सुझाव पर सार्वजनिक सूचना जारी की गई है और इसलिए इन दोनों इकाइयों के एलओपी का विस्तार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड को अधिकार प्राप्त है और इसलिए इन दोनों इकाइयों के अनुमति पत्र का विस्तार एक वर्ष के लिए करने पर विचार किया जा सकता है। तदनुसार, विचार-विमर्श के पश्चात बोर्ड ने गुजरात स्थित मैसर्स प्रयास वूलेन्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स गीतांजलि वूलेन्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुमति पत्र का विस्तार 31 अगस्त, 2016 तक करने का निश्चय किया।

3.6(15) मैसर्स सैपलिंग एगोटेक प्राइवेट लिमिटेड – विकास आयुक्त, एफएसईजेड द्वारा निरस्त किए गए उनके अनुमति पत्र को पुनः वैध करने के लिए प्रस्ताव।

बोर्ड ने एलओपी का नवीकरण करने के लिए मैसर्स सैपलिंग एगोटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार किया। विचार-विमर्श के पश्चात बोर्ड ने उनके प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया और विकास आयुक्त, एफएसईजेड को इस यूनिट की व्यक्तिगत सुनवाई करने का निदेश दिया ताकि पुनः उत्पादन शुरू करने, उनके निवेशकों का विवरण जानने तथा डीजीएफटी द्वारा दिनांक 22.06.2015 के आदेश के तहत दिए गए निदेश के अनुसार सभी लंबित देयों का निपटान करने की उनकी कार्ययोजना से अवगत हुआ जा सके।

3.7(15) मैसर्स कैनफ्रूट एक्सपोर्ट्स इंडिया लिमिटेड – उनकी एस एलओपी को पुनः वैध करने के लिए प्रस्ताव जिसे विकास आयुक्त, वीएसईजेड द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

बोर्ड ने मैसर्स कैनफ्रूट एक्सपोर्ट्स इंडिया लिमिटेड के एलओपी को पुनः वैध करने के लिए उनके प्रस्ताव पर विचार किया। पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात बोर्ड ने विकास आयुक्त, वीएसईजेड और केंद्रीय उत्पाद कर प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण करने का निदेश दिया ताकि इस यूनिट की उत्पादन क्षमता एवं यूनिट द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों की सच्चाई जानी जा सके। तथ्यपरक स्थिति का सुनिश्चित करने के पश्चात विकास आयुक्त इस एलओपी का गुणावगुण आधार पर एक वर्ष तक के लिए विस्तार कर सकते हैं।

3.8(15) मैसर्स जैन ग्रानी मार्मो (प्राइवेट) लिमिटेड, एनएसईजेड के अंतर्गत उदयपुर स्थित एक ईओयू – रिजेक्ट्स एवं अपशिष्ट/कतरन की डीटीए में बिक्री करने के लिए अनुमति।

बोर्ड ने मैसर्स जैन ग्रानी मार्मो (प्राइवेट) लिमिटेड, उदयपुर स्थित एक ईओयू के प्रस्ताव डीटीए में रिजेक्ट्स/अपशिष्ट/स्क्रेप का निपटान करने के स्तर को बढ़ाने पर विचार किया और पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात बोर्ड ने अपशिष्ट मानकों का निर्धारण करने के लिए यह प्रस्ताव डीजीएफटी की मानक समिति को भेजने का निश्चय किया।

भाग-II

बीओए का अनुसमर्थन करने के लिए वर्ष 1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुरूप प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत विकास आयुक्त द्वारा दिया गया अनुमोदन।

क	नवम्बर, 2014 से जून, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	सीपज
ख	अप्रैल, 2015 से जुलाई, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन शून्य है	आई एस ई जेड
ग	अप्रैल, 2015 से जून, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	के ए एस ई जेड
घ	जून, 2015 माह के लिए तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन शून्य है	एम ई पी जेड
ड.	अप्रैल, 2015 से जून, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन शून्य है	एफ एस ई जेड
च	अप्रैल, 2015 से जुलाई, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	वी एस ई जेड
छ	जून, 2015 से जुलाई, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत दिया गया अनुमोदन	एन एस ई जेड

भाग-II अनुपूरक कार्यसूची का या

क	अप्रैल 2015 से मई 2015 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत प्रदत्त अनुमोदन	एमईपीजेड
---	--	----------

नोट : अनुसमर्थित प्रस्तावों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

प्रतिभागियों की सूची

1. सुश्री रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव – अध्यक्ष
2. डा. जॉन जोसेफ, डीजी, डीजीईपी, राजस्व विभाग
3. डा. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
4. डा. तेजपाल सिंह, अपर डीजीईपी, राजस्व विभाग
5. डा. एल. बी. सिंघल, डीसी, एनएसईजेड और अपर-डीजीएफटी, डीजीएफटी
6. श्री मधुप व्यास, निदेशक वाणिज्य विभाग
7. सुश्री दीपशिखा शर्मा, निदेशक, सीबीडीटी, राजस्व विभाग
8. श्री उपेंद्र वशिष्ठ, विकास आयुक्त, केएसजेड
9. श्री एन. पी. एस मोंगा, विकास आयुक्त, सीपज, एसईजेड
10. श्री संजीव नंदवानी, विकास आयुक्त, एफएसईजेड और वीएसईजेड
11. सुश्री सफीना ए. एन., विकास आयुक्त, सीएसईजेड
12. सुश्री सोभना के एस राव, विकास आयुक्त, वीएसईजेड
13. श्री शन्मुगा संदुरम, विकास आयुक्त, एमईपीजेड
14. श्री ईश्वर सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त, आईएसईजेड
15. मोहम्मद जकारिया खान युसूफजई, वरिष्ठ विकास अधिकारी, डीआईपीपी

भाग-II

जोन	यूनिट का नाम	विनिर्माण की मर्दे	एलओपी की तारीख
सीपूज	(i) मैसर्स जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड	1. प्रसंस्कृत मसाले (कुटे/पिसे/स्टर्लाइज) क. काली मिर्च ख. सफेद मिर्च ग. जीरा घ. धनिया ड. अदरक च. हल्दी 2. मिर्च (पिसी/फलेक्स)	11.11.2014
	(ii) मैसर्स सैटर्नरिग्स एंड फोरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	1. बीयरिंग रेसेस एवं उनके पार्ट्स 2. गरार ब्लैक्स, स्लीब्स और उनके पार्ट्स 3. फ्लेंजेज एवं उनके पार्ट्स	21.11.2014
	(iii) मैसर्स केंडिया विजन प्रासेस इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	1. पम्प असेसरीज अर्थात एकचुएटर माउंटिंग ब्रैकेट, कोन पम्प फीट लेग, राउड लेग मोटर 2. फिल्टर्स 3. पाइप फिटिंग्स एवं अससेरीज अर्थात टीबैंड, रिडयूसर	05.01.15
	(iv) मैसर्स क्राउन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	1. पफर्युमरी एल्डीहाइड (जैसे पिपरोनल) 2. सह उत्पाद - डिस्टलेशन रेसिड्यू	04.02.2015
	(v) मैसर्स सिंडीकेट प्रिंटर्स लिमिटेड	1. रिस्ट ब्रैंड्स, टिकेट्स और अन्य समान उत्पाद जिसमें आरएफआईडी समर्थित उत्पाद शामिल हैं। 2. लेबल्स, टैग्स एवं कार्ड्स तथा अन्य समान उत्पाद जिनमें आरएफआईडी समर्थित उत्पाद शामिल हैं। 3. आरएफआईडी इनलेज	04.02.2015
	(vi) मैसर्स कलालिगेन्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	1. एल्वेंडजिल टेबलेट्स 200 एमजी 2. एल्वेंडजिल टेबलेट्स 400 एमजी 3. एम्लोडियन बेसिलेट टेबलेट्स 5 एमजी 4. एम्लोडियन बेसिलेट टेबलेट्स 10 एमजी 5. अटोर वास्टेटिन कैल्सियम टेबलेट्स-10 एमजी 6. अटोर वास्टेटिन कैल्सियम टेबलेट्स-20 एमजी 7. एटनोलोल टेबलेट्स 50 एमजी 8. एटनोलोल टेबलेट्स 100 एमजी 9. एजिथ्रोमइसिज डिहाइड्रेड कैप्सूल - 250 एमजी 10. एजिथ्रोमइसिज डिहाइड्रेड कैप्सूल - 500 एमजी 11. सेट्रिजिन डिहाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स 101 एमजी 12. सिप्रोफलाक्सीसिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स 250 एमजी 13. सिप्रोफलाक्सीसिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट्स 500 एमजी 14. ओलैरिथ्रोमाइसिन टेबलेट्स 250 एमजी 15. ओलैरिथ्रोमाइसिन टेबलेट्स 500 एमजी 16. डायक्लोफिनेक सोडियम टेबलेट्स 50 एमजी	05.05.2015

		<p>17. डायक्लोफिनेक सोडियम टेबलेट्स 100 एमजी</p> <p>18. डाक्सीसिस्लिन हाइक्लेट कैप्सूल 100 एमजी</p> <p>19. इराइथ्रोमाइसिन स्टीयरेट टेबलेट्स 250 एमजी</p> <p>20. इराइथ्रोमाइसिन स्टीयरेट टेबलेट्स 500 एमजी</p> <p>21. इराइथ्रोमाइसिन इस्टोलेट ड्राईसीस 125 एमजी</p> <p>22. इराइथ्रोमाइसिन इस्टोलेट ड्राईसीस 250 एमजी</p> <p>23. अबुप्रोफेन टेबलेट्स 200 एमजी</p> <p>24. अबुप्रोफेन टेबलेट्स 400 एमजी</p> <p>25. लोसरहन पोटैसियम टेबलेट्स 50 एमजी</p> <p>26. ओमिप्राजोल इन्टारिक कोटेड कैप्सूल 20 एमजी</p> <p>27. नारफलाकसासिन</p> <p>28. राक्सीथायरोमाइसिन टेबलेट 150 एमजी</p> <p>29. राक्सीथायरोमाइसिन टेबलेट 300 एमजी</p> <p>30. ट्रामाडोल एचसीएल कैप्स 50 एमजी</p> <p>31. सल्फमिथाक्साजोल एवं ट्रिसथोसिस टैबलेट्स 480 एमजी</p> <p>32. सल्फमिथाक्साजोल एवं ट्रिसथोसिस टैबलेट्स 960 एमजी</p>	
	(vii) मैसर्स पावर इंजीनियरिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	<p>1. इलेक्ट्रिक जनरेटिंग सेट</p> <p>2. काम्पैक्ट उपकेंद्र</p> <p>3. कन्ट्रोल पैनल्स</p> <p>4. मोबाइल लाईटिंग टावर्स</p> <p>5. इलेक्ट्रिक एवं डीजल से चलने वाले पम्प्स</p>	14.02.2015
आई एस ई जेड	(i) मैसर्स हारमनी प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	<p>1. पीपी वोवेन फेब्रिक्स लैमिनेटेड या अनलैमिनेटेड (रूफिंग फेब्रिक्स)</p> <p>2. एचजीएफपीई वोवेन फेब्रिक्स लैमिनेटेड या अनलैमिनेटेड (रूफिंग फेब्रिक्स)</p> <p>3. पीपी वोवेन बैग्स/सैक्स लैमिनेटेड या अनलैमिनेटेड (रूफिंग फेब्रिक्स)</p> <p>4. एचजीपीई वोवेन बैग्स/सैक्स लैमिनेटेड या अनलैमिनेटेड (रूफिंग फेब्रिक्स)</p>	19.05.2015
	(ii) मैसर्स ब्लर्बप्व्वाइंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	वेव विकास, वेव डिजायनिंग, वेव अनुरक्षण, ई-कामर्स सल्युशंस, याहू स्टोर विकास, साफ्टवेयर विकास, ऑफशोर विकास, मल्टीमीडिया सल्युशंस/डाटाबेस सल्युशंस, सर्च इंजिन, ऑप्टिमाइजेशन एवं इंटरनेट मार्केटिंग, वेव होस्टिंग एवं डोमेन रजिस्ट्रेशन, गेमिंग, दूरस्थ प्रशासन सेवाएं	22.06.2015
एम ई पी जेड	शून्य		
एफ एस ई जेड	शून्य		
वी ई पी जेड	(i) मैसर्स बीवीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	ग्रेनाइट/मारबल टाइल्स स्लैब्स, मॉन्यूमेंट्स एवं अन्य मर्चे	19.06.2015
	(ii) मैसर्स हरिमान एक्सपोर्ट्स	ग्रेनाइट स्लैब्स, मान्यूमेंट्स एवं आर्टिकल्स	20.07.2015
	(iii) मैसर्स महा इंटरस्ट्रीज प्रा. लि.	ग्रेनाइट स्टोन्स साईंग एंड पॉलिशिंग, ग्रेनाइट स्लैब्स एंड टाइल्स	26.06.2015

	(vi) मैसर्स रैप मोटर्स इंडिया प्रा. लि.	तिपहिया ऑटो रिक्शाज	02.06.2015
एन एस ई जेड	(i) मैसर्स विकास गनरीज प्रा.लि.	ग्वार गम पल्वराइज्ड	19.06.2015
	(ii) मैसर्स वीवीडीएन टेक्नालोजीज इंडिया प्रा.लि.	इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद	19.06.2015
अनुपूरक एजेंडा			
एम ई पी जेड	(i) मैसर्स लिमिटेक्स (इंडिया) लिमिटेड	चाय	29.04.2015
	(ii) मैसर्स श्री एनर्जी वाल्व्स प्राइवेट लिमिटेड	औद्योगिक वाल्व्स	27.05.2015